COURT
Rs.20
INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES
CANCELED

9

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक : /2018 निगरानी - 5762/2018/गुना/भूरा.

श्री .... द्वारा आज दि. 13-9-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-10-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13-9-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बलंवत सिह फोत वारिसान

1. राजेन्द्र सिह पुत्र स्व. श्री बलंवत सिह
2. जीतेन्द्र सिह पुत्र स्व. श्री बलंवत सिह

निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील आरोन जिला गुना

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कन्हैयाराम निवासी ग्राम खजूरी तहसील आरोन जिला गुना
2. मध्य प्रदेश शासन जिला गुना

.... रेस्पोडेन्टस

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल
अग्रिम प्रति yes
पृष्ठ संख्या 01 to 14
हस्ताक्षर व नाम 13/9/18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 31.08.2018 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी आरौन जिला गुना के प्रकरण कमांक 66/अपील/2017-18 व उन्वान बाबूलाल बनाम बलवंत सिह आदि से व्यथित होकर।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग अ

(6)

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक: ....निगरानी-5762/2018/गुना/भू-रा.....

तहसील: .....

जिला: ....गुना....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का प्रकरण : .....

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: ....

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: .....

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण क्रमांक : ....66/अपील/2017-18,....

तहसील का प्रकरण क्रमांक: ....383/बी-121/17-18,....

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो : .....

वाद का विषय: ....निगरानी....

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है : .....म.प्र.भू.रा.संहिता.....

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....गुना.... । .....के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...31/08/2018... के विरूद्ध ...बलवंत सिंह फौत वारिसान राजेन्द्र सिंह,जीतेन्द्र सिंह...।...बाबूलाल,मध्यप्रदेश शासन..।...एम०पी०भटनागर,... के अभिभाषक द्वारा निगरानी - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है । प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक ...03/10/2018...है। जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।	
3-10-18	आवेदक अधिवक्ता श्री एम०पी० भटनागर उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस चाहा गया। विचारोपरांत प्रकरण आवेदक के निवेदन पर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये वापिस किया जाता है। अध्यक्ष	3/10/18 प्रस्तुतकार